

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर-लेक (जयपुर)

राजस्व लोक अदालत केम्प

सांभर-लेक

मुकदमा नम्बर 31/18

वादी- 815/18

नामन्ती देवी

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अर्न्तगत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम सांभर-लेक पटवार हल्का सांभर-लेक तहसील किशनगढ
के आराजी खसरा नम्बर 174, 175, 152, 153, 154, 349, 351, 92, 226, 227, 346,
347, 348, 352, 353, 355

में वादी का नाम व विवरण

सोमू पुत्र शंकर

के स्थान पर


सोमू पुत्र शंकर

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में मजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

अतः वादा का वाद डिकी किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
वर्तमान (जमावती) सन्वत् 2071-2074 मे खाला - 51, 57 एवं 129 मे सोनू पुत्र शंकर जाति कुम्हार सा. 52	सोनू उर्फ दिनेश पुत्र शंकर जाति-कुम्हार सा. 52


सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावे।

~~1~~
08/5/18 18 प्र. न. म. सि. ६
NAD 18
सहायक कलेक्टर / उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)